न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 46/2024 ई.रे. दिनांक 23.12.2025

1– वाली बाई पिता गोतम गायरी निवासी जियाखेड़ी हाल मुकाम भियाणा तहसील बड़ीसादड़ी
2– पूनम पुत्री स्व. भेरूलाल गायरी नाबालिग जरिये संरक्षक भुआ वाली बाई पिता गोतम गायरी निवासी जियाखेड़ी हाल मुकाम भियाणा तहसील बड़ीसादड़ी

बनाम

1 – गोतम पिता नारायण गायरी निवासी जियाखेड़ी तहसील बड़ीसादड़ी
2 – पोखर पिता नारायण गायरी निवासी जियाखेड़ी तहसील बड़ीसादड़ी
3– शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
4 – शाखा प्रबंधक, चित्तौडगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा बड़ीसादड़ी
5 – राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी
6 – उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय बड़ीसादड़ी
7– रामेश्वर लाल पिता भगवानलाल गायरी निवासी भियाणा तहसील बड़ीसादड़ी

प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित– श्री अनिल सोनावा प्रार्थीगण
श्री आर.एल. मुणेत वकील विपक्षी सं. 1 व 2
श्री राजेश व्यास विपक्षी सं. 7

–:: आदेश::–

प्रार्थीगण की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –

1–प्रार्थीगण ने उक्त उनवान का एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209, आर.टी.एक्ट का श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से निश्चिय ही प्रार्थीगण के हक मे निर्णित होगा ।

2–खतोनी संख्या नई 37 की आराजी नं. 30 क्षेत्रफल 0.4500 है0 लगान 18 रूपया 90 पैसा , आ. नं. 31 क्षेत्रफल 0.0100 है0 लगान 0.33 पैसा, आ. नं. 564 क्षेत्रफल 0.3700 है0 लगान 7 रूपया 03 पैसा, आ. नं. 564/902 क्षेत्रफल 0.0100 है0 आराजी नं. 565 क्षेत्रफल 0.4000 है0 लगान 7 रूपया 60 पैसा , आ. नं. 571 क्षेत्रफल 0.4800 है लगान 9 रूपया 12 पैसा, आ.नं. 571/903 क्षेत्रफल 0.0100 है, आ. नं. 575 क्षेत्रफल 0.2800 है लगान 5 रूपया 32 पैसा, आराजी नं. 63 क्षेत्रफल 0.3700 है लगान 12 रूपया 21 पैसा. आ. नं. 814 क्षेत्रफल 0.2500 है लगान 4 रूपया 75 पैसा, आ.नं. 96 क्षेत्रफल 0.2200 है लगान 7 रूपया 26 पैसा, आ. नं. 98 क्षेत्रफल 0.1200 है0 लगान 3 रूपया 96 पैसा भूमि का कुल किता 12 कुल क्षेत्रफल 2.9700 हैक्ट. कुल लगान 76 रूपया 48 पैसा भूमि ग्राम जियाखेड़ी पटवार सर्कल बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है।

3– खतोनी संख्या नई 204 की आराजी नं. 585 क्षेत्रफल [illegible] हैक्ट. लगान 6 रूपया 65 पैसा, आ.नं. 955/553 क्षेत्रफल 0.6600 हैक्ट. लगान 12 [illegible] 964/553 क्षेत्रफल 0.5400 है लगान 10 रूपया 26 पैसा, आ. नं. 968/553 [illegible] 0.4900 है [illegible] 9 रूपया 31 पैसा भूमि का कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 2.0400 हैक्ट. कुल [illegible] जियाखेड़ी प[illegible]र्कल बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

4–खतोनी संख्या नई 38 की आराजी नं. 516 क्षेत्रफल 03200 हैक्ट. लगान 6 रूपया 8 पैसा भूमि ग्राम जियाखेड़ी पटवार सर्कल बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है ।

5–खतोनी संख्या नई 96 की आराजी नं. 32 क्षेत्रफल 0.1300 है गे.मु. चाह लगान 0.13 पैसा भूमि ग्राम जियाखेड़ी पटवार सर्कल बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है।

6–खतोनी संख्या नई 171 की आराजी नं. 553/899 क्षेत्रफल 0.0100 है भूमि राजस्व ग्राम जियाखेड़ी में स्थित है।

7–खतोनी संख्या नई 95 की आराजी नं. 103 क्षेत्रफल 0.0400 हैक्ट. गे.मु. चाह लगान 0.04 पैसा भूमि ग्राम जियाखेड़ी पटवार सर्कल बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है।

8–वाद पत्र की चरण संख्या 2,3,4,5,6,7 में वर्णित आराजीयात को इस वाद पत्र में आगे चलकर सुविधा के लिहाज से वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जावेगा इन आराजीयात के साबिक आराजी नं. 26, 27, 56, 83, 85, 515, 516, 522, 526, 738 कुल किता 10 कुल रकबा 13 बिघा 14 बिस्वा, आराजी नं. 469 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नं. 90 रकबा 0–04 बिस्वा, आराजी नं. 28 रकबा 0–12 बिस्वा, आराजी नं. 505 ,536 कुल किता 2 कुल रकबा 34 बीघा 13 बिस्वा है।

9–यह वादी एवं प्रतिवादीगण का वंश पृक्ष निन्नानुसार है।– मूल पुरूष भज्जा जी गायरी थे जिनका स्वर्गवास हो गया वो प्रार्थी कमांक 1 के पड़दादा जी है, उनके एक पुत्र नारायण जी हुये जो प्रार्थी कमांक 1 के दादा जी एवं प्रार्थी कमांक 2 के पड़दादाजी है, जिनका भ्‍ज्ञी स्वर्गवास हो गया है जिनके विधिक उत्तराधिकारी एवं वारिसान विपक्षी कमांक 01 गोतम, विपक्षी कमांक 02 पोखर हुये, विपक्षी कमांक 01 व 02 की माता एवं प्रार्थीया की दादी जी श्रीमति कतुबाई का भी स्वर्गवास हो गया है। गोतम जी के एक पुत्र भेरूलाल एवं पुत्री वालीबाई प्रार्थी कमांक 1 हुये, श्री भेरूलाल का स्वर्गवास हो गया है जिसकी वारिस पुनम प्रार्थीया कमांक 2 है।

10–वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी पैतृक सम्पति होकर मुल खातेदार नारायण जी की खातेदारी मे दर्ज थी। नारायण जी का स्वर्गवास होने से वादग्रस्त आराजीयात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मृतक नारायण जी के पुत्र विपक्षी कमांक 01 गोतम जी, विपक्षी कमांक 02 पोखर जी एवं कतुबाई के नाम पर राजस्व रिकोर्ड में विरासत से नामान्तरण संख्या 334 दिनांक 18.01.2007 एवं नामान्तरण संख्या 401 दिनांक 18.09.2009 भूमि दर्ज हुयी वादग्रस्त आराजीयात विपक्षी कमांक 01 गोतम जी को विरासत में प्राप्त हुई उक्त भूमि पुश्तैनी पैतृक है जिसमें प्रार्थीगण का जन्मतः हक व अधिकार निहित है चुकि प्रार्थी कमांक 1 विपक्षी कमांक 01 की वैध उत्तराधिकारी होकर जायन्दा पुत्री तथा प्रार्थी कमांक 2 पौत्री है। वादग्रस्त आराजीयात गोतम जी के खातेदारी में है। जिससे वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का कानूनन बर्थ ऑफ राईट्स अनुसार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित आराजीयात में से प्रार्थी कमांक 1 का 1/6 हिस्सा प्रार्थी कमांक 2 का 1/6 हिस्सा विपक्षी कमांक 1 का 1/6 हिस्सा विपक्षी कमांक 2 का 1/2 हिस्सा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित आराजी में से प्रार्थी कमांक 1 का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी कमांक 2 का 1/12 हिस्सा, विपक्षी कमांक 1 का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी कमांक 2 का 1/4 हिस्सा, एवं प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में से प्रार्थी कमांक 1 का 1/72 हिस्सा, प्रार्थी कमांक 2 का 1/72 हिस्सा विपक्षी कमांक 1 का 1/72 हिस्सा, विपक्षी कमांक 2 का 1/24 हिस्सा तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित आराजीयात मे से प्रार्थी कमांक 1 का 1/40 हिस्सा प्रार्थी कमांक 2 का 1/40 हिस्सा, विपक्षी कमांक 1 का 1/40 हिस्सा, विपक्षी कमांक 2 का 3/40 हिस्सा, तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 में वर्णित आराजीयात मे से प्रार्थी कमांक 1 का 1/54 हिस्सा प्रार्थी कमांक 2 का 1/54 हिस्सा, विपक्षी कमांक 1 का 1/54 हिस्सा, विपक्षी कमांक 2 का 1/18 हिस्सा कानूनन बनता है। प्रार्थीगण अपने बर्थ ऑफ राइटस अनुसार अपने उपरोक्त वर्णित हिस्सेनुसार भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर उपयोग– उपभोग करती चला आ रही है। तथा प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजीयात में [illegible] से ही राईट, टाईटल व इन्टरेस्ट स्थापित हो चुका है।

11–वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की पुश्तैनी [illegible] आराजी है जो प्रार्थी कमांक 1 के दादा जी तथा प्रार्थी कमांक 2 के पडदादा [illegible] विपक्षी कमांक 1व 2 को विरास्त में प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थीगण का ज[illegible]हित है इसके बावजुद विपक्षी कमांक 2 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

मन में बदनियती आ गई जिससे उसने विपक्षी कमांक 1 जो की प्रार्थी कमांक 1 के वृद्ध पिता होकर शुगर की बिमारी से पिडित रहते है, तथा आये दिन बिमार रहते है जिससे उनको सुज बुज भी नही रहती है, आंखों से भी कम दिखाई देता है, उनके सोचने समझने की क्षमता भी बहुत कम है उसका नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण को अपनी पुश्तैनी आराजीयात मे जन्मतः हक व अधिकार निहित भूमि से वंचित करने के आश्य से विपक्षी कमांक 1 की पुश्तैनी सम्पूर्ण हिस्से की आराजीयात का गैर कानूनी तरीके से प्रार्थीगण की सहमति एवं जानकारी के बिना हक त्याग पत्र दिनांक 6.9.2024 को विपक्षी कमांक 2 के पक्ष में निष्पादित करवा दिया जो कि अवैध होकर विपक्षी कमांक 1 के हक हिस्से से अधिक भूमि का होने से प्रार्थीगण के हक व अधिकरों के विरूद्ध निष्प्रभावी व शून्य है। जबकी कानूनन विपक्षी कमांक 1 का वादग्रस्त पुश्तैनी आराजीयात में प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 व 3 में वर्णित आराजीयात में से 1/6 हिस्सा, प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित आराजी में से 1/12 हिस्सा, प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित आराजी में से 1/72 हिस्सा, प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित आराजी में से 1/40 हिस्सा, प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 में वर्णित आराजी में से 1/54 हिस्से की भूमि का अन्तरण कर सकता है जबकी विपक्षी कमांक 2 ने विपक्षी कमांक 1 को बहला फुश्लाकर उसकी बिमारी का नाजायज फायदा उठाकर नुमाईसी तरीके से विपक्षी कमांक 1 के हिस्से के अधिक भूमि का तथाकथित हक न्याग पत्र विपक्षी कमांक 2 के पक्ष में करवा दिया है जो की विपक्षी कमांक 1 के हिस्से से अधिक भूमि का हुआ है वो कानून प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि तक का शून्य होकर निष्प्रभावी है। प्रार्थीगण के पुश्तैनी आराजीयात में से हक हिस्से की भूमि को विपक्षी कमांक 2 के हिस्से में से कम किया जाकर प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी की घोषित कराई जाकर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कराया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है।

12–विपक्षी कमांक 2 काफी होशियार व चालाक व्यक्ति है जिसने प्रार्थीगण को तथाकथित हक त्याग की जानकारी नही हाने दी ओर पुश्तैनी आराजीयात का विपक्षी कमांक 1 के हिस्से से अधिक भूमि का हक न्याग त्याग कराते ही उक्त भूमि पर रहन बैंक से ऋण ले लिया जो विपक्षी कमांक 2 की कुटरचना एवं षड्यन्त्र को सिद्ध करती है। जबकी वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी पैतृक होने से प्रार्थीगण का बर्थ ऑफ राईटस के अनुसार विपक्षी कमांक 1 द्वारा अपने पुश्तैनी आराजीयात में अपने हिस्से से अधिक भूमि का हक न्याग निष्पादित करवा दिया है जो प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि का विपक्षी कमांक 1 की अनपढ़ता एवं बिमारी से पिड़ित होने के कारण करवा दिया है वो प्रार्थीगण का हिस्सा विपक्षी कमांक 2 के हिस्से में से कम किया जाकर प्रार्थना पत्र चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित आराजीयात में से प्रार्थी कमांक 1 का 1/6 हिस्सा प्रार्थी कमांक 2 का 1/6 हिस्सा, व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 मे वर्णित आराजी में से प्रार्थी कमांक 1 का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी कमांक 2 का 1/12 हिस्सा, एवं प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में से प्रार्थी कमांक 1 का 1/72 हिस्सा, प्रार्थी कमांक 2 का 1/72 हिस्सा, तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 मे वर्णित आराजीयात में से प्रार्थी कमांक 1 का 1/40 हिस्सा प्रार्थी कमांक 2 का 1/40 हिस्सा तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 में वर्णित आराजीयात में से प्रार्थी कमांक 1 का 1/54 हिस्सा, प्रार्थी कमांक 2 का 1/54 हिस्सा, की खातेदारी घोषणा प्रार्थीगण के नाम पर कराई जाकर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज कराया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है।

13–वादग्रस्त अराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की पुश्तैनी है प्रार्थी कमांक 1 विपक्षी कमांक 1 की पुत्री व प्रार्थी कमांक 2 पौत्री है लेकिन विपक्षी कमांक 2 विपक्षी कमांक 1 को अपने बहकावे में लेकर तथा उसकी बिमारी एवं मानिसक बिमारी, तथा अनपढ़ता का नाजायज फायदा उठाकर नुमाईसी तरीके से तथाकथित हक त्याग पत्र विपक्षी नं. 2 मे पक्ष में प्रार्थीगण को अपने पुश्तैनी आराजीयात मे हक व अधिकार से वंचित करने के आश्य से निष्पादित करवा दिया जो प्रार्थीगण के हक व अधिकारों के विरूद्ध शुन्य व निष्प्रभावी है। तथाकथित हक न्याग पत्र भी पुश्तैनी [illegible] किया गया है जिसमें विपक्षी कमांक 1 का विपक्षी कमांक 2 का कोई विशेष स्नेह हो ऐसा [illegible] में अंकित नही किया गया है। हक न्याग पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया कि [illegible] की बिना किसी प्रतिफल के हक न्याग की है जिसमें हक त्याग [illegible] प्रार्थीगणों को अपने हिस्से से क्यु बेदखल किया उसके बारे में कोई उल्लेख [illegible] पत्र मे खाता संख्या 98 की आराजी नं. 332 रकबा 0.1300 है दर्ज किया जो कि राजस्व रिकोर्ड से [illegible] भिन्न है राजस्व रिकोर्ड में आराजी नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

32 है जिससे हक त्याग पत्र संदिग्ध है एवं आराजी नं. 32 की जगह 332 गलत दर्ज होने तथा रिकोर्ड से भिन्न होने पर भी राजस्व रिकोर्ड में आराजी नं. 32 मे विपक्षी कमांक 2 का नाम हक त्याग के आधार पर दर्ज कर दिया जो की विपक्षी कमांक के प्रभाव को दर्शाती है कि कानून से बाहर जाकर नामान्तरण खुलवाया गया है। जबकि विपक्षी कमांक 1 की सेवा चाकरी एवं भरण पोषण प्रार्थी कमांक 1 ही करती चली आ रही है विपक्षी कमांक 2 के पक्ष में प्रार्थीगण के हिस्सों से अधिक भूमि का हक न्याग प्रार्थीगण के हक हकुक व अधिकारों के विरूद्ध शून्य निष्प्रभावी है जिससे प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 में वर्णित हिस्से की खातेदारी की घोषणा कराई जाकर राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण का नाम दर्ज कराया जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त आराजीयात मे से प्रार्थीगण अपने हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने की अधिकारीणी है।

14–प्रार्थी कमांक 1 विपक्षी कमांक 1 की पुत्री एवं प्रार्थी कमांक 2 पोत्री होकर वैध उत्तराधिकारी है जिसका हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजीयात मे से जन्मतः हक हिस्सा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित आराजीयात में से प्रार्थी कमांक 1 का 1/6 हिस्सा प्रार्थी कमांक 2 का 1/6 हिस्सा व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 ` वर्णित आराजी में से प्रार्थी कमांक 1 का 1/12 हिस्सा प्रार्थी कमांक 2 का 1/12 हिस्सा एवं प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 मे से प्रार्थी कमांक 1 का 1/72 हिस्सा, प्रार्थी कमांक 2 का 1/72 हिस्सा तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित आराजीयात मे से प्रार्थी कमांक 1 का 1/40 हिस्सा, प्रार्थी कमांक 2 का 1/40 हिस्स तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 मे वर्णित आराजीयात मे से वादी कमांक 1 का 1/54 हिस्सा प्रार्थी कमांक 2 का 1/54 हिस्सा प्रार्थीगण का कानूनन बनता है फीर भी विपक्षी कमांक 1 ने प्रार्थीगण की जानकारी के बिना प्रार्थीगण को अपनी पैतृक सम्पति के उपयोग एवं हक अधिकार से वंचित करने के आशय से वादग्रस्त आराजीयात मे से विपक्षी कमांक 1 के पुश्तैनी आराजी मे निहित हिस्से मे से अधिक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के निर्विघ्न रूप से करती चली आ रही है। जिससे प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि की खातेदारी की घोषणा पैतृक आराजी में बर्थ ऑफ राइटस अनुसार कराने की कानूनन अधिकारिणी है।

15–प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 से लगायत 7 में वर्णित आराजीयात पुश्तैनी पैतृक सम्पति होने से प्रार्थी कमांक 1 के दादा जी व प्रार्थी कमांक 2 के पड़दादाजी श्री नारायण जी के खातेदारी की थी तथा प्रार्थीगण का कानूनन वादग्रस्त आराजीयात में जन्म से ही हक हिस्सा निहित है तथा वादग्रस्त आराजी नारायण जी की मृत्यु के बाद विपक्षी कमांक 1 व 2 के नाम पर दर्ज हुआ। विपक्षी कमांक 1 काफी वृद्ध व्यक्ति होकर मानसिक बिमारी से पिड़ित होकर अनपढ़ है जिनको सूज बुज भी नही रहती है जो गांव के अन्य व्यक्तियों के बहकावें में आकर प्रार्थीगण को अपनी पुश्तैनी पैतृक सम्पति में हक व अधिकार से वंचित करने के आशय से पुश्तैनी सम्पति को विकय करने पर अमादा है तथा उस पर रहन भार लेन पर अमादा है। प्रार्थीगण अपने जन्मतः हक व अधिकार की भूमि का उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। प्रार्थीगण के पास इस भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है। ओर ना ही आय का कोई स्त्रोत है प्रार्थी कमांक 1 अपने हिस्से की आराजी पर खेती करके बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर चला रही है ऐसी स्थिति में विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है इसलिए विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया न्यायोचित एवं न्याय संगत है कि वे वादग्रस्त पुश्तैनी पैतृक आराजीयात के हिस्सा विशिष्ट भू भाग को रहन, बय बक्षीश एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरित नही करें न करावे। तथा राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तथा प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से की भूमि आराजीयात का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें।

16–प्रार्थी कमांक 1 के भाई एवं प्रार्थी कमांक 2 के पिता भेरूलाल की पत्नी श्रीमति कला थी जिसने भेरूलाल जी मृत्यु के बाद अन्य व्यक्ति श्री उंकार [illegible] निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील डुंगला के साथ दुजवर नाता विवाह कर लिया तथा उनके साथ [illegible] पत्नी के कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। श्रीमत कला बाई ने भेरूलाल के परिवार से सभी अधिकार [illegible] सम्बंधो को समाप्त कर दिया। जिसका उसका वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक व अधिकार नही [illegible] तथा विपक्षी कमांक 2 नाबालिग है एवं उसका वादग्रस्त आराजीयात में हक व [illegible] जिससे उसकी कानून संरक्षक भुआ वाली बाई की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

17—प्रार्थीया अपनी पुश्तैनी पैतृक आराजी में अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उससे अपने परिवार में सदस्यों का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर रही है विपक्षीगण प्रार्थीगण को अपने हक व अधिकार की भूमि जो जन्म से प्रार्थीगण को उत्तराधिकार से प्राप्त हुई उससे बेदखल करने तथा विपक्षी कमांक 2 पुश्तैनी सम्पति इनके अकेले के नाम पर दर्ज होने से उसको अन्य व्यक्ति को विकय करने पर अमादा है इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही यिका जाता है तो विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को अन्य व्यक्ति को विकय करने में सफल हो जावेगा तो प्रार्थीगण को व्यर्थ की मुकदमे बाजी करनी पड़ेगी। प्रार्थीगण के भूखे मरने तक की नौबत आ जावेगी। प्रार्थीगण अपने हक व अधिकार से वंचित रह जावेगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना एवं प्रार्थना पत्र पेश करना ही बेकार हो जावेगा इसलिये विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

18—प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विपक्षीगण को पाबंद नही किया गया तो प्रार्थीगण अपनी पुश्तैनी भूमि में अपने जन्मतः हक व अधिकार से वंचित हो जावेगी प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जबकी विपक्षीगण को पाबंद किये जाने पर उन्हें किसी प्रकार की कोई क्षति नही होगी।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है। कि विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी भू—भाग को रहन बय बक्षीश या अन्य तरीके से हस्तान्तरण नही करें न करावे। तथा मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि का उपयोग—उपभोग करने देवें।

विपक्षी नं. 7 ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र को मूल वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश कन्फर्म करने में अनापत्ति जाहीर की ।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी कमांक 1 व 2 कमशः गौतम गायरी व पोखर गायरी की ओर से यह जवाब प्रार्थनापत्र निम्नलिखित सविनय पेश है :—

1— प्रार्थनापत्र की कलम सं. 1 में वर्णित तथ्य केवल दावा पेश होना स्वीकार है, किंतु दावा गलत तथ्यों पर आधारित होकर कमजोर होने से निश्चित रूप से खारिज होगा।

2— प्रार्थनापत्र की कलम सं. 2 में वर्णित तथ्य के आराजीयात सं. में त्रुटि विधमान है।

3— प्रार्थनापत्र की चरण सं. 3 में वर्णित तथ्य में खाता सं. 204 में वर्णित आराजीयात होना स्वीकार है

4— प्रार्थनापत्र की चरण सं. 4 में वर्णित तथ्य में खाता सं. 38 में वर्णित आराजीयात होना स्वीकार है।

5— प्रार्थनापत्र की चरण सं. 5 में वर्णित तथ्य में खाता सं. 96 में वर्णित आराजीयात होना स्वीकार है।

6— प्रार्थनापत्र की चरण सं. 6 मे वर्णित तथ्य में खाता सं. 171 में वर्णित आराजीयात होना स्वीकार है

7— प्रार्थनापत्र की चरण सं. 7 में वर्णित तथ्य में खाता सं. 95 में वर्णित आराजीयात होना स्वीकार है।

उक्त समस्त आराजीयात अप्रार्थी पोखर गायरी के खातेदारी में होकर वह काबिज होकर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है।

8— प्रार्थनापत्र की कलम सं. 8 में वर्णित तथ्य प्रार्थीगण स्वंय सिद्ध करें, प्रतिवादी को जानकारी नहीं है।

9— प्रार्थनापत्र की चरण सं. 9 में वर्णित सजरा प्रार्थीगण की ओर से भ्रामक पेश किया गया है क्योंकि उक्त कथित सजरे में पुनम को स्व. भैरूलाल की पुत्री के रूप में दर्शित कर रखा है जबकी भैरूलाल 2022 में मृत्यु हो गयी व उसकी पत्नी कलाबाई श्री उंकार पिता एलीराम गायरी निवासी लक्ष्मीपुरा डुंगला के यहां पर विगत 2 वर्ष पुर्व नाता विवाह कर लिया व उसकी पुत्री पुनम को भी उसके साथ ही लेकर गयी जो अपनी माता व नये पिता उंकार गायरी की संरक्षता में ग्राम लक्ष्मीपुरा तह.डुंगला में निवासरत है। कलाबाई के नाता विवाह कर लिये जाने के उपरांत कभी भी पुर्व ससुराल [illegible] में उसका कभी सम्पती पर कोई दावा अथवा संबंध सरोकार नही रहा जिसका उल्लेख स्वंय प्रार्थीगण [illegible] अपने प्रार्थनापत्र की कलम सं. 16 में किया है। अतः पुनम को वारिस बनाकर अथवा उसकी विधिक [illegible] उवकी बुवा वालीबाई को कथित रूप से बनाकर दावा व यह आवेदन पेश किया [illegible] जो वैध संरक्षक होकर प्रथम हेयर होकर स्वयं कलाबाई जीवित है। इस प्रकार [illegible] पत्र अथवा इस प्रार्थनापत्र से कोई सरोकार नहीं है व उसकी जानकारी में लाये बिना यह दावा पेश किया है जो चलने योग्य नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
वड़ीसादड़ी

10— प्रार्थनापत्र की चरण सं. 10 में वर्णित तथ्य का जवाब यह है कि उक्त वर्णित जायदाद के वर्तमान खातेदार मृतक नारायण के पत्र गौतम व पोखर थे। नारायण की मृत्यु वर्षों पुर्व हो गयी व विरासत से उक्त वर्णित आराजीयात उसके दोनों पुत्रों के नाम पर नामान्तरित की गयी। नारायणा की पुत्री वालीबाई का विवाह 20 वर्ष पुर्व ग्राम भियाणा में रामेश्वरलाल पिता भगवानलाल गायरी के साथ करवा दिया गया व कभी भी अपने पिहर में किसी संपति में वालीबाई ने हस्तक्षेप नही किया न कभी उक्त वर्णित आराजीयात पर कभी कब्जा रहा था।

11— प्रार्थनापत्र की चरण सं. 11 में वर्णित तथ्य कपोल कल्पित होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण का आरोप बिल्कुल निराधार है। कि अप्रार्थी पोखर ने अप्रार्थी गौतम का उसके बिमार होने का नाजायज लाभ लेकर आराजीयात को अपने नाम पर करवा दिया । दिनांक 6.9.2024 को अप्रार्थी गौतम ने पुर होश व साक्षी उपस्थिती में पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर रजिस्टर्ड हक त्यागपत्र अप्रार्थी पोखर के पक्ष में निष्पादित करवाया जिसमें किसी प्रकार का विवाद नही है न ही किसी के हक अथवा अधिकारों को समाप्त किया गया है।

12— प्रार्थनापत्र की कलम सं. 12 में वर्णित तथ्य पुर्णतया गलत व मिथ्या होकर अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी गौतम व पोखर दोनों सगे भाई है। गौतम के कोई भी जीवित वारिसान नही होने व उसके भाई पोखर के द्वारा उसकी सेवा सुश्रिता व भरणपोषण करने से प्रसन्न होने के कारण गौतम ने सहर्ष यह हकत्याग पत्र निष्पादित किया है जिसका नामान्तरण भी अप्रार्थी पोखर के पक्ष में हो चुका है। प्रार्थीगण वालीबाई व कथित वारिसान पुनम जिसकी संरक्षक फर्जी तरिके से वालीबाई ने बनकर यह दावा ओर आवेदनपत्र पेश किया है जो उसकी जानकारी में भी नहीं है न अब उक्त अप्रार्थी किसी प्रकार का हक व स्तत्व प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिये भी यह प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है।

13— प्रार्थनापत्र की चरण सं. 13 में वर्णित दर्ज तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। जिस रजिस्टर्ड व विधिसम्मत तरिके से निष्पादित हक त्यागपत्र को प्रार्थीगण नुमाईशी बता रहे है वो सरकारी मशीनरी व उनके संसाधनों की वैध प्रकिय्रा पर संदेह किया जाना है क्योंकि अप्रार्थी गौतम को ऐसा हकत्याग करने का पुर्ण अधिकार था व प्रार्थीगण केवल अपने लालची स्वभाव के कारण निराधार व मिथ्या आरोप लगा रहे है जो चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के छल कपट से यदि हक त्यागपत्र करवाया जाता तो प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय अथवा पुलिस थाने में आपराधिक शिकायत भी ततसमय मे दर्ज करवानी चाहिये थी जो उन्होंने नही करवायी। उक्त कलम में यह तथ्य भी प्रार्थीगण की ओर से आया की वह अप्रार्थी गौतम की सेवा चाकरी कर रही है जो की पुर्णतया गलत है जिसका स्वंय खंडन अप्रार्थी गौतम ही करता है।

14— प्रार्थनापत्र की कलम सं. 14 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र व वादपत्र में प्रार्थीया क्रमांक 2 को बिना उसकी जानकारी के यह दावा पेश किया है व वर्तमान में उसका उक्त संपति में किसी प्रकार का हक विधमान नहीं है। कानूनन स्वंय वालीबाई भी उक्त संपति मे कोई हक व सरोकार नही रखती है जिसका उल्लेख विशेष कथन में किया जा रहा है।

15— यह कि प्रार्थनापत्र की चरण सं. 14 में वर्णित तथ्य पुर्णतया गलत व मिथ्या दर्ज करवाये जाने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का हक व स्तत्व विलोपित हो चुका है व वर्तमान में उक्त आराजीयात में उनका कोई हक व अधिकार निहित नही है।

16— प्रार्थनापत्र में वर्णित कलम सं. 16 का जवाब यह है कि भैरूलाल की पत्नी कलाबाई के तथ्य सही है व कलाबाई के साथ ही उसकी पुत्री पुनम भी उसके साथ ही रह रही है जिसकी पिता के रूप में उंकार पिता ऐलीराम गायरी के साथ ही रह रही है। इस प्रकरण में पुनम का कानूनी संरक्षक उसकी बुवा को बनाया है जबकी पुनम स्वंय उसकी माता कलाबाई के साथ में ग्राम लक्ष्मीपुरा में रह रही है।

17— प्रार्थनापत्र में वर्णित कलम सं. 17 के तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण का वर्णित आराजीयात में कही पर भी न तो स्तत्व है न कही एक ईंच भूमि पर काबिज [illegible] क्रमांक 1 खातेदार काश्तकार है व उसके विरूद्ध विशेष परिस्थिती अथवा उपवाद को छोडकर [illegible] प्रकार की निषेधाज्ञा प्रचिलीत नही की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:40 IST
Reason: SelfAttested

18— प्रार्थनापत्र की कलम सं. 18 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण के पक्ष में किसी गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण के पक्ष में किसी [illegible] का केस प्रमाणित नहीं है। अपितु गलत

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

व मिथ्या तथ्यों को लेकर यह प्रार्थनापत्र पेश किया है जिसमें न तो प्रार्थीगण को कोई असुविधा कारित हो रही है न ही अपुरणीय क्षति कारित हो रही है।

विशेष कथन

1– प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थनापत्र पुर्णतया गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण निहायत ही धुर्त व धोखेबाज व्यक्ति है जिन्होंने अपनी मक्कारी व लालच से वशीभूत होकर व अप्रार्थी पक्ष को धोखे में रखकर यह प्रार्थनापत्र पेश किया है।
प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य उक्त हक त्याग पत्र के उसका पति अप्रार्थीगण से अब केवल ब्लैकमेल कर नकद धन प्राप्त करना चाहते है। प्रार्थीगण किसी प्रकार से दया के पात्र नही होकर उक्त प्रार्थनापत्र भी खारिज किये जाने योग्य है इन लोगों ने अप्रार्थीगण के सीधेपन व सदाशयता का अनुचित लाभ प्राप्त किया है व राजीनामें की पालना भी नहीं की है।
2– प्रार्थीगण के द्वारा जो दावा पेश किया है। उसमें प्रार्थीया क्रमांक 2 पुनम के कोई जानकारी में कोई तथ्य नही है न पुनम जो की अवयस्क है उसकी ओर से उसकी बुवा कानूनी संरक्षक बनकर यह प्रार्थनापत्र पेश कर सकती है क्योंकि वर्तमान में उसके माता व पिता दोनों जीवित है तथा वह उनकी वैध संरक्षता में है। प्रार्थीया वालीबाई को विवाह हुए 20 वर्ष से अधिक हो गये है व उसके ससुराल की सम्पति पर स्वंय काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग भी कर रही है। पिहर की आराजियात पर उसका कोई कब्जा तक निहीत नही है।
3– प्रार्थीया वालीबाई व उसका पति रामेश्वरलाल ने धुर्तता व लालच से अप्रार्थी गौतम के पुत्र भैरूलाल जिसका देहावसान हो गया व जिसका व्यवसाय पुना में था उक्त व्यवसाह व सम्पुर्ण मकान जायदाद पर भी जबरन काबिज हो गया व उसके पिता अप्रार्थी गौतम को पुणे शहर स्थित मकान से बेदखल कर धक्के देकर निकाल कब्जा कर लिया। अप्रार्थी गौतम की सम्पुर्ण भरणपोषण खर्चे व देखभाल इस समय भी अप्रार्थी क्रमांक 1 पोखरलाल उसका अनुज भाई कर रहा है। प्रार्थीया वालीबाई व उसका पति केवल अप्रार्थीगण के सीधेपन का नाजायज लाभ प्राप्त कर सम्पति को हड़प कर जाने की ही मंशा रही है और पुर्व में भी करते चले आ रहे है, उनकी बदनियती उक्त राजीनामपत्रक की पालना नही करने से भी परिलीक्षीत होती है। जिसकी रिपोर्ट भी थाने में दी जा रही है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के द्वारा पेश भ्रमक मिथ्या व विधिविरूद्ध प्रार्थनापत्र को विशेष हर्जे 25000/– रूपये पर खारिज किये जाने का आदेश करावे।

1– **प्रथम दृष्टया मामला**
पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी हैं प्रार्थीगण अपनी पुश्तैनी पैतृक आराजी में अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उससे अपने परिवार में सदस्यों का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर रही है विपक्षीगण प्रार्थीगण को अपने हक व अधिकार की भूमि जो जन्म से प्रार्थीगण को उत्तराधिकार से प्राप्त हुई उससे बेदखल करने तथा विपक्षी क्रमांक 2 पुश्तैनी सम्पति इनके अकेले के नाम पर दर्ज होने से उसको अन्य व्यक्ति को विक्रय करने पर अमादा है इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही यिका जाता है तो विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को अन्य व्यक्ति को विक्रय करने में सफल हो जावेगा विपक्षी प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा है । इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–
चूंकि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी है। जिससे प्रार्थीगण का [illegible] दृ[illegible] केश प्रमाणित है । तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विप[illegible] पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो [illegible] जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थीगण साबित करने में सफल [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

–:निर्णय:–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 05.11.2024 के अनुसार विपक्षीगण मौजा जियाखेड़ी पटवार हल्का बड़वल की आराजी नं. 30, 31, 564, 564/902, 565, 571, 571/903, 575, 63, 814, 96, 98 कुल किता 12 रकबा 2.97 हैक्ट. व आराजी नं. 585 मीन, 955/553, 964/553, 968/553 कुल किता 4 रकबा 2.04 हैक्ट. तथा आराजी नं. 516 रकबा 0.32 तथा आराजी नं. 32 रकबा 0.13 हैक्ट., आराजी नं. 553/899 रकबा 0.01, आराजी नं. 103 रकबा 0.04 हैक्ट. भूमि का हस्तानान्तरण न करे न करावे, मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस हेतु विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है ।

यह आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:40 IST
Reason: SelfAttested